

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/2018 दिनांक 02.06.2016 द्वारा श्रीमती कमलेश वर्मा, व्याख्याता अंग्रेजी को राउमावि खातीपुरा, जयपुर से राउमावि सांगानेर, जयपुर किया गया था। श्रीमती सुषमारानी व्याख्याता अंग्रेजी को पदस्थापनआदेशों की प्रतीक्षा में एवं दिनांक 06.06.2018 द्वारा इनका पदस्थापन राउमावि थोलाई, जमवारामगढ, जयपुर किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 02.06.2018 एवं 06.06.2018 के विरुद्ध श्रीमती सुषमारानी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2674/2018 दिनांक 23.08.2018 द्वारा स्थगन प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार राउमावि खातीपुरा, जयपुर में दोहरा पदस्थापन हो गया। दोहरे पदस्थापन के व्याख्याताओं को दिनांक 10.01.2019 को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। न्यायालय स्थगन के कारण श्रीमती सुषमारानी व्याख्याता अंग्रेजी को राउमावि खातीपुरा, जयपुर में यथावत एवं श्रीमती कमलेश वर्मा व्याख्याता अंग्रेजी को उनके द्वारा सहमती के आधार पर राउमावि राउमावि सांगानेर, (सांगानेर शहर) जयपुर में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा। ये आदेश दिनांक 01.02.2019 से प्रभावी होगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/दोहरा पदस्थापन/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक : 11/01/19
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/2018 दिनांक 18.06.2016 द्वारा श्रीमती अनुराधा सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी को रावाउमावि वल्लभनगर, उदयपुर से राउमावि सवीनाखेडा, उदयपुर वरखारानी के स्थान पर किया गया था। श्रीमती वरखा रानी का पदस्थापन राउमावि सवीनाखेडा, उदयपुर से रावाउमावि वल्लभनगर, उदयपुर किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध श्रीमती वरखारानी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 8658/2018 दिनांक 20.06.2018 द्वारा स्थगन प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार राउमावि सवीनाखेडा, उदयपुर में दोहरा पदस्थापन हो गया। दोहरे पदस्थापन के व्याख्याताओं को दिनांक 10.01.2019 को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। न्यायालय स्थगन के कारण श्रीमती वरखारानी व्याख्याता अंग्रेजी को राउमावि सवीनाखेडा, उदयपुर में यथावत एवं श्रीमती अनुराधा सिंह को उनके द्वारा सहमती प्रस्तुत नहीं करने के कारण राउमावि मावली जंक्सन (मावली) उदयपुर में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/दोहरा पदस्थापन/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक : 11/01/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/पदस्थापन स्थाना./2016-17 दिनांक: 20.10.2016 द्वारा श्रीमती दीप्ति सक्सैना, व्याख्याता अंग्रेजी को राउमावि फागी, जयपुर चाकसू जयपुर के आदेश पर से राउमावि राउमावि गैटोर, जयपुर श्रीमती सीमा मीणा के स्थान पर किया गया था। श्रीमती सीमा मीणा का पदस्थापन राउमावि गैटोर, जयपुर से राउमावि फागी, जयपुर किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध श्रीमती सीमा मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3187/2016 दिनांक 11.11.2016 द्वारा कन्फर्म स्थगन प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार राउमावि गैटोर, जयपुर में दोहरा पदस्थापन हो गया। दोहरे पदस्थापन के व्याख्याताओं को दिनांक 10.01.2019 को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। न्यायालय स्थगन के कारण श्रीमती सीमा मीणा व्याख्याता अंग्रेजी को राउमावि गैटोर, जयपुर में यथावत एवं श्रीमती दीप्ति सक्सैना को उनके द्वारा सहमती प्रस्तुत नहीं करने के कारण राउमावि विराटनगर, जयपुर में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।




(नथमल डिडेल)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/दोहरा पदस्थापन/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक : 11/01/19
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-8/पदस्थापन संशोधन/2016 दिनांक: 10.12.2016 द्वारा श्रीमती भगवती देवी शर्मा, व्याख्याता अंग्रेजी को राउमावि मण्डाना, कोटा से राउमावि महावीर नगर प्रथम कोटा श्रीमती अनीता दीक्षित के स्थान पर किया गया था। श्रीमती अनीता दीक्षित का पदस्थापन राउमावि महावीर नगर प्रथम से राउमावि मण्डाना, कोटा किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध श्रीमती अनिता दीक्षित द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1765/2018 दिनांक 01.02.2018 द्वारा स्थगन प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार राउमावि महावीर नगर प्रथम में दोहरा पदस्थापन हो गया। दोहरे पदस्थापन के व्याख्याताओं को दिनांक 10.01.2019 को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। न्यायालय स्थगन के कारण श्रीमती अनिता दीक्षित को राउमावि महावीर नगर प्रथम कोटा में यथावत एवं श्रीमती भगवती शर्मा को उनके द्वारा प्रस्तुत सहमती के आधार पर राउमावि वल्लभ नगर, कोटा में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/दोहरा पदस्थापन/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक : 11/01/19
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर